

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक

नवम्बर, 2016

पत्र संख्या-1/एल1-10-04/2015 गृ0आ0 /श्री चन्दन कुमार कुशवाहा, भा0पु0से0 (2010), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, रोहतास सम्प्रति नगर पुलिस अधीक्षक (मध्य), पटना को अपनी शादी हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 21.02.2015 से 13.03.2015 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों की उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-04/2015 गृ0आ0 /पटना, दिनांक नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-04/2015 गृ0आ0 /पटना, दिनांक नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-04/2015 गृ0आ0 8792 /पटना, दिनांक 03 नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री चन्दन कुमार कुशवाहा, भा0पु0से0 (2010), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, रोहतास सम्प्रति नगर पुलिस अधीक्षक (मध्य), पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना /आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।